राजस्थान सरकार

राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर

क्रमांक : प.1(118)राअप्रसं/स्था/च.श्रे.क. /2026/130 दिनांक : 14/08/2026

:: आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(1) प्र.सु./अनु–3/2024–07601 दिनांक 08.07.2026 के द्वारा आवंटित किये जाने पर निम्नाकिंत अभ्यर्थियों को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम, 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वित्त (नियम डिवीजन) विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफः15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार पे–मेट्रिक्स लेवल–02 के नियत पारिश्रमिक रूपये 12600/– प्रतिमाह की दर से अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर पदस्थापन इस संस्थान एवं संस्थान के अधीनस्थ कार्यालयों में एतद्द्वारा किया जाता है :–

SL. No	RANK	ROLL NO	NAME/ FATHER's NAME	GENDER	D.O.B.	CAT.	SEL. CAT	H. CAT	HOME DISTRICT	ALLOTED OFFICE
1	1216	3518791	RISHIKESH SAINI/ BRAJMOHAN SAINI	MALE	20-05-2003	OBC	GEN_ ARD	-	टोंक	पटवार प्रशिक्षण शाला, टोक।
2	1279	1296958	CHETAN SAINI/ KAILASH SAINI	MALE	18-06-1999	OBC	GEN_ ARD	-	दौसा	सर्वउद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक।
3	1440	1822684	SHREEPAL/ BHANWAR LAL	MALE	14-08-1999	OBC	GEN_ ARD	-	नागौर	पटवार प्रशिक्षण शाला, कालीबेरी (जोधपुर)।
4	1468	2336837	KAILASH CHAND/ JAGDISH PRASAD	MALE	05-07-1995	OBC	GEN_ ARD	-	कुचामन–डीडवाना	राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
5	1475	2232225	BHUPENDRA KUMAR DHAKAD/ NAND KISHOR DHAKAD	MALE	23-11-1998	GEN	GEN_ ARD	-	कोटा	पटवार प्रशिक्षण शाला, नया गांव कोटा।
6	4445	3232372	GARGEE VYAS/ JAIPRAKASH	FEMALE	19-09-2003	EWS	GEN_ ARD		भरतपुर	राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।

RajKaj Ref No.: 24052716
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2026.08.14 16:48:54 IST
Reason: Approved

7	7845	2338008	MANISHA/ PRABHU RAM	FEMALE	13-11-1995	OBC	GEN_ ARD	-	कुचामन–डीडवाना	राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
8	13477	2632258	HARISH KUMAR NAGAR/ MOOLCHAND NAGAR	MALE	11-06-1997	OBC	OBC_ ARD	-	झालावाड	पटवार प्रशिक्षण शाला, नया गांव, कोटा।
9	13560	2348126	DHANRAJ SAIN/ BHIVRAJ	MALE	13-08-2002	OBC	OBC_ ARD	-	नागौर	पटवार प्रशिक्षण शाला, कालीबेरी (जोधपुर)।
10	13618	3245691	ABHISHEK/ RAJVEER SINGH	MALE	10-06-1995	OBC	OBC_ ARD	-	चुरू	पटवार प्रशिक्षण शाला, गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर)।
11	14412	2365290	ABHISHEK SHARMA/ RAJENDRA PRASAD SHARMA	MALE	20-06-1999	EWS	EWS_ ARD	-	अलवर	पटवार प्रशिक्षण शाला, देवखेडा (अलवर)।
12	16378	3234611	AJAY SINGH/ SURESH CHAND	MALE	20-01-2002	SC	SC_ ARD	-	भरतपुर	सर्वउद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक।
13	17673	2855633	KHAJAN SINGH/ RAMPHUL MEENA	MALE	15-10-2000	ST	ST_ ARD	-	बूंदी	पटवार प्रशिक्षण शाला, देबारी (उदयपुर)।

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 18.08.2026 तक अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश नियत अवधि तक उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देंवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ11/एसटी/एससी/ओबीसी/एमबीसी/जा.प्र.प/सामान्यअवि/2015–54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204) आएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि /2011168999 –69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ: 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 व परिशिष्ठ IV के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ...

Signature valid
Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2026.08.14 16:48:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24052716
M e-Sign

निर्णय के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

4. परिवीक्षा काल में इन्हे नियमानुसार कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नही होगी।
5. सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
6. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार देय होगे।
7. दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–2 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
9. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता आवंटित सूची में अंकित वरीयता क्रम में ही रहेगी।
10. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवामुक्त किया जा सकेगा।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करते समय, पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कार्यग्रहण करवाया जाना संभव नहीं होगा।
12. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाऐं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवायें समाप्त कर सकेगी।
13. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्ययधीन रहेगी।
14. राज्य में अवस्थित बोर्डों/विश्वविद्यालय/संस्थापन द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की संबंधित बोर्डो/ विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्यधीन रहेगी।
15. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(5) डीओपी/ए–2/17 दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटैस्टेशन फार्म एवं स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन रिर्पोट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन अद्योहस्तारकर्ता द्वारा निरस्त कियें जाने का अधिकार होगा।
16. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
17. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होंगी।
18. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।
19. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कैलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।

Signature valid
Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2026.08.14 16:48:54 IST
Reason: Approved

20. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगे।

(मीनाक्षी मीणा)
निदेशक
राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
अजमेर

क्रमांक : सम/2484 - 2525 दिनांक :– 14/08/2026

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन उप सचिव , प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग, सचिवालय जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.3(1) प्र.सु./अनु–3/2024–07601 दिनांक 08.07.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, सचिवालय जयपुर।
3. सचिव ,राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ,जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव संस्थान हाजा।
5. उप–निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर/टोंक/कोटा/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/श्रीगंगानगर।
6. ए.सी.पी.(उप निदेशक) संस्थान हाजा को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. लेखा शाखा संस्थान हाजा।
8. वेतन लिपिक संस्थान हाजा।
9. संबंधित कार्मिक...।
10. निजी पत्रावली संबंधित कार्मिक सुश्री /श्री/श्रीमति...।
11. आदेश पत्रावली ।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2026.08.14 16:48:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24052716
M e-Sign